न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. नाथू पिता उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. शंकर पिता उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. हरिया उर्फ हरजी पिता उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. हीरका पिता उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

1. दिनेश पिता मनोहरलाल जी पामेचा, निवासी देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मुकेश पिता नाथूलाल जी लोढ़ा, निवासी देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मांगीलाल पिता राजमल जी कटारिया, निवासी देलवाडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. कुका पिता उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती दल्लु पत्नी उदा जी भील, निवासी बिलोता, तहसील देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 26.11.2024, प्र.सं. 41/2024

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक रेस्पा. सं. 1...

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 12–[illegible]–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलोता में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 2353 रकबा 1.5429 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी के सटमा ही विपक्षी की आराजी नंबर 2354, 2355, 2351, 2347 व 3248/2346 स्थित है, जो मुख्य रास्ते से मिलता है। प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी नंबर 2353 में आराजी नंबर 2354, 2355, 2351, 2347 व 3248/2346 से आते जाते हैं, अन्य कोई रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः आराजी नंबर 2354, 2355, 2351, 2347 व 3248/2346 में से 30 फिट रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पक्षीय बहस सुनकर तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26–11–2024 को रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा यह अपील दिनांक 14–01–2025 को प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र नाहर उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण अनुसूचित जाति के अनपढ़ व्यक्ति है तथा अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी, न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती। मौके पर दूसरा रास्ता उपलब्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–11–2024 निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि मौके पर दूसरा रास्ता उपलब्ध है तथा जमा करायी गयी राशि पुनः लेने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested

म-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि मौके पर दूसरा रास्ता उपलब्ध है तथा वह जमा करायी गयी राशि पुनः प्राप्त करने को तैयार है। तद्नुसार अपील स्वीकार योग्य होकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–11–2024 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्टगण को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से प्राप्त राशि रेस्पोडेन्टगण को वापस लौटाये। यदि अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की पालना में अपीलान्टगण की भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर दिया गया हो तो उसे पुनः अपीलान्टगण के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

12.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:40 IST
Reason: SelfAttested